

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 28/2018 (RCMS No. 2018/00088)

वादीगण

1. सुवाराम पुत्र दुलाराम जाट निवासी मूनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. चन्द्राराम पुत्र अमराराम जाट निवासी भांवता तहसील नावा जिला नागौर
4. शेखर पुत्र अर्जुनराम जाट निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोरुराम पुत्र हनुमानराम कुम्हार
2. मोरली पत्नि हनुमानराम कुम्हार
3. जीवणराम पुत्र बालूराम कुम्हार
4. केशाराम पुत्र बालूराम कुम्हार
5. लालाराम पुत्र बालूराम कुम्हार
6. तिजादेवी पत्नि बालूराम कुम्हार निवासीगण धनजी का बाग कुचामनसिटी (नागौर)
7. आशादेवी पुत्री बालूराम कुम्हार बुगालिया बास कुचामनसिटी
8. भंवरीदेवी पुत्री बालूराम कुम्हार निवासी कुचामनसिटी (नागौर)
9. तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा- अधिकारो की घोषणा बंटवारा होल्डिंग एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ.से. 53,88,188

R.T.Act 1955

उपस्थित - श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक :- 27.09.2019


वादीगण की आरे से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.96 हैक्टर कुल रकबा 2.69 हैक्टर में वादीगण की प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदारी की स्थित चली आ रही है, उपरोक्त खसरान की भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर भू-विभाजन कर रखा है तथा सभी खाते अपने-अपने हिस्से आई भूमि पर काबिज काश्त निर्विवाद व निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं, उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से वादीगण की खरीद सुदा भूमि रकबा 0.44 हैक्टर

....2....


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचानानामा के जो दिनांक 14.02.2017 को उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में पंजिबद्ध हुआ है जो राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 4840 दिनांक 06.03.2017 पर दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज काशत एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूरी भूमि रिकार्ड में शामिल की दर्ज है जिसका भू-विभाजन आज दिन तक नहीं हुआ है, जिसका वादीगण किसी प्रकार का कोई विवाद कभी नहीं हो इसलिए बंटवारा करवाना आवश्यक हो गया है, वादीगण उक्त भूमि को खरीद करने के दिन से ही खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर में से रकबा 0.44 हैक्टर भूमि पर काबिज काशत करते आ रहे हैं एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरो के खातेदार काशतकार हैं जो बंटवारा करवाकर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाने के अधिकारी हैं वादीगण प्रतिवादीगण 01 ता 8 सहखातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि रकबा 0.44 हैक्टर का भू-विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादीगण भू-विभाजन से साफ इन्कार कर रहे हैं, वादीगण का कब्जा काशत खसरा नम्बर 1317 की भूमि पर है जिसमें वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 05 का रहवासी मकान को छोड़कर शेष भूमि रकबा 0.44 हैक्टर पर कब्जा काशत है, जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जो परिशिष्ट " क " है जिसे वाद पत्र का अंग समझा जाये, वादग्रस्त खसरो के विधिवत काशतकार हैं एवं काशतकार की हैसियत से काबिज है, प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 ने वादीगण को धमकी दी है कि वे न तो भू-विभाजन करेंगे एवं न ही सही नाप चौक कर वादीगण को करने देंगे तथा ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी दी है एवं वादीगण के खरीद सुदा कब्जासुदा भू-भाग को संयुक्त खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर किसी भू-माफिया संगठन को विक्रय बख्शीश रहन इत्यादि कर देंगे, ऐसा करने में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी एवं अनावश्यक मुकदमाबाजी बढ़ेगी जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। बिनाय दावा वादग्रस्त खसरो की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारे से इन्कार करने पर बमुकाम कुचामनसिटी में उत्पन्न हुआ है, वादीगण की इस्तदुआ है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.96 हैक्टर कुल रकबा 2.69 हैक्टर में से खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.44 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 5 के स्थित रहवासी मकान को छोड़कर भूमि रकबा 0.44 हैक्टर पर वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर वाद-पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट " क " में दर्शित A, B, C, D, E, F, G, H के अनुसार बाई मीट्स बाउण्डस बंटवारा किया जाकर भूमि में वादीगण की सेपरेट होल्डिंग कायम करवाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने के आदेश फरमावे, माफिक आदेश प्रतिवादी सं. 9 को तहरीर जारी कर फरमया


...3....


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जावे की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे, स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 8 इस आशय की जारी फरमाई जावे की वादीगण के कब्जे काश्त एवं अधिकारों की भूमि में उपयोग उपभोग में प्रतिवादी सं. 1 ता 8 किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं डाले एवं न ही अपने ऐजेन्टो एवं प्रतिनिधि से डलवाये।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एक-पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर विधिवत सुनवाई की जाकर खारिज किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादीगण के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुये।

वकील वादीगण की एक-पक्षीय बहस सुनी गई, जिन्होंने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी परिशिष्ट "क" अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे, जमाबंदी नकल सम्वत 2070-2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.96 हैक्टर कुल रकबा 2.69 हैक्टर में हनुमान जीवणराम केसाराम लालाराम पि. बालू तीजादेवी पत्नि बालू आशादेवी भंवरीदेवी पुत्रियों बालू तीजा पत्नि बालू हणमान जीवण केसा लाला पि. बालू जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, नामा. सं.4840 नि.दि.6.3.2017 बेचान से तीजादेवी पत्नि बालू लालाराम पुत्र बालू कुम्हार द्वारा अपने हिस्से में से बेचान करने पर सुवाराम पुत्र दुलाराम जाति जाट नि. मूनपुरा गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम जाट सा. राणासर, चन्द्राराम पुत्र अमराराम जाति जाट सा. भांवता शेखर पुत्र अर्जुनराम जाट सा. कुचामनसिटी ब.हि.बराबर 0.44 हैक्टर के नाम स्वीकृत शेष खाता बदस्तूर रहा। वर्तमान जमाबन्दी में सुवाराम पुत्र दुलाराम जाति जाट नि. मूनपुरा हिस्सा 11/269 गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम जाट सा. राणासर हिस्सा 11/269, चन्द्राराम पुत्र अमराराम जाति जाट सा. भांवता हिस्सा 11/269, शेखर पुत्र अर्जुनराम जाट सा. कुचामनसिटी हिस्सा 11/269 अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अनुसार भी वादीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर में 0.44 हैक्टर पर चला आ रहा है जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से होती है, वादीगण संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है तथा इसी अनुसार बंटवारा कराकर सेपरेट खातेदारी दर्ज कराये जाने के मुश्तहक है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण अपने हक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर में से 0.44 हैक्टर का परिशिष्ट "क" अनुसार वाद साबित करने में सफल रहे है, अतः वादी वादी काबिल डिक्री योग्य होने से वाद डिक्री किया जाता है।


अमलद अधिकारी
कुचामन सिटी (नागांर)

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.96 हैक्टर कुल रकबा 2.69 हैक्टर में वादीगण को खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर में से 0.44 हैक्टर संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरान में से वादीगण का नाम हटाया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, परिशिष्ट "क" डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 28/2018 (RCMS No. 2018/00088)

वादीगण

1. सुवाराम पुत्र दुलाराम जाट निवासी मूनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम जाट निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. चन्द्राराम पुत्र अमराराम जाट निवासी भांवता तहसील नावा जिला नागौर
4. शेखर पुत्र अर्जुनराम जाट निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोरुराम पुत्र हनुमानराम कुम्हार
2. मोरली पत्नि हनुमानराम कुम्हार
3. जीवणराम पुत्र बालूराम कुम्हार
4. केशाराम पुत्र बालूराम कुम्हार
5. लालाराम पुत्र बालूराम कुम्हार
6. तिजादेवी पत्नि बालूराम कुम्हार निवासीगण धनजी का बाग कुचामनसिटी (नागौर)
7. आशादेवी पुत्री बालूराम कुम्हार बुगालिया बास कुचामनसिटी
8. भंवरीदेवी पुत्री बालूराम कुम्हार निवासी कुचामनसिटी (नागौर)
9. तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा— अधिकारो की घोषणा बंटवारा होल्डिंग एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ.से. 53,88,188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी मिनजानिब मुदई रू-बरूमिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.96 हैक्टर कुल रकबा 2.69 हैक्टर मे वादीगण को खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.46 हैक्टर में से 0.44 हैक्टर संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरान में से वादीगण का नाम हटाया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, परिशिष्ट "क" डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज मुबलिग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि॥नर		
फिस कमि॥नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।